संख्या- 30 /2017 /1089/चार-2015-19(सा0)/2015

प्रेषक,

डा0 हरिओम
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 मार्च, 2017

विषय- वेतन समिति उ0प्र0 2008 की संस्तुतियों के आधार पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0, लखनऊ एवं अयोध्या शोध संस्थान, फैजाबाद के समूह घ पदों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्र संख्या-3505/सं0नि0-19(2)/2014-15 , दिनांक 23 मार्च 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-3263/दस-59(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 12-01-2011 जिसके द्वारा स्वशासी संस्थाओं के समूह 'घ' के पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड-1, रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800 दिनांक 01-01-2006 से काल्पनिक रूप से अनुमन्य कराते हुये वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव (दिनांक 08-09-2010) से पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है, के अनुपालन में राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 लखनऊ एवं अयोध्या शोध संस्थान , फैजाबाद के समूह 'घ' के पदों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एस रू0 4440-7440 एवं ग्रेड वेतन रू0 1300/- , रू0 1400/- एवं रू0 1650/- के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/- दिनांक 01 जनवरी 2006 से काल्पनिक रूप से अनुमन्य कराते हुये वास्तविक लाभ दिनांक 08 सितम्बर 2010 से, पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने तथा भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोडकर) नियुक्ति न किये जाने तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदो का कार्य आउट सोर्सिंग से कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-798 /दस-2016 दिनांक 18 अगस्त 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 हरिओम)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- / 2017 / 1089 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (02प्रतियों में)
6- निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षित ब्यूरों , वित्त विभाग, सचिवालय।
7- सचिव, राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, फैजाबाद।
9 -गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।